GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

LOK SABHA
UN-STARRED QUESTION NO: 1566
TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 4TH MARCH, 2016
14, PHALGUNA, 1937 (SAKA)

INCOME TAX EXEMPTION

1566. SHRI RAMESH CHANDER KAUSHIK:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government is considering to increase the income tax exemption limit;
(b) if so, whether the Government proposes to double the tax exemption limit in view of price rise and recommendations of the Pay Commission;
(c) if not, the reasons therefor; and
(d) whether the Government is also considering to increase some other allowances of its employees in view of price rise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI JAYANT SINHA)

(a), (b) & (c) No madam. There is no such proposal under consideration. Through the Finance (No 2) Act, 2014, personal income tax exemption limit in the case of individual taxpayers who are below the age of 60 years has been increased from Rs 2 lakh to Rs 2.5 lakh. Similarly, in the case of senior citizens the exemption limit has been raised from Rs 2.5 lakh to Rs 3 lakh. However, in the Finance Bill, 2016 introduced in the House on 29.02.2016, the rebate available to the individuals under section 87A of the Income-tax Act, 1961 in respect of the persons having total income upto Rs 5 lakhs per annum, is proposed to be raised from Rs 2,000/- to Rs 5,000/-.

(d) There is no specific proposal to enhance existing allowances especially in view of price rise. Dearness Allowance (DA) is paid to Central Government employees to protect the erosion in the real value of basic salary on account of inflation. Consequently, the DA admissible is positively correlated to the level of inflation. Accordingly, based on the accepted formula, DA is enhanced, usually twice every year, with effect from 1st January and 1st July.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1566

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 मार्च, 2016/ 14 फाल्गुन, 1937 (शक) को दिया जाना है)

आय कर में रियायत

1566. श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आय कर रियायत सीमा में बढ़ोत्तरी पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कीमत वृद्धि और वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में कर रियायत सीमा को दोगुना करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार कीमत वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अपने कर्मचारियों के कुछ अन्य भत्तों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क), (ख) और (ग): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2014 के माध्यम से 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत करदाताओं के मामले में निजी आयकर छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आय पर कर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।

हालांकि, 29.02.2016 को सदन में प्रस्तुत वित्त विधेयक, 2016 में, जिन व्यक्तियों की प्रतिवर्ष कुल आय 5 लाख रू. तक है, उनके संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87 (क) के तहत व्यक्ति विशेष को कर में दी गई छूट को 2000/- रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) वर्तमान भत्तों में वृद्धि का, विशेषकर मूल्य वृद्धि को दखते हुए, कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है ताकि उन्हें मुद्रास्फीति के कारण, मूल वेतन के वास्तविक मूल्य में होने वाली कमी से बचाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, अनुज्ञेय मंहगाई भत्ते का सकारात्मक और सीधा संबंध मंहगाई के स्तर से होता है। तदनुसार, स्वीकार किए गए इस सूत्र के आधार पर मंहगाई भत्ते को सामान्यत: वर्ष में दो बार, अर्थात् 1 जनवरी और 1 जुलाई से, बढ़ाया जाता है।

*****